



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 02 अलग-अलग मामलों में कुल 02 अभियुक्तों को कारावास व 14000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में 02 अलग-अलग मामलों में 02 अभियुक्तों को कारावास व 14000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना मटौंध पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/21 धारा 307/34 भादवि व मु0अ0सं0- 158/21 धारा 380/457/411/413 भादवि के 02 अभियुक्तों 1.अशोक पुत्र गंगाराम निवासी रुपनगर थाना चरखारी जनपद महोबा व 2. गजोधर पुत्र श्यामलाल उर्फ जागेन्द्र निवासी मोहनपुरवा थाना मटौंध जनपद बांदा को 04 वर्ष 02 माह के कठिन कारावास (प्रत्येक को) व कुल 14000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।